

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 49 / Aligarh/22272/2016, अलीगढ़: दिनांक: जनवरी: 08, 2018

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

जनपद अलीगढ़ में 400 केवी0 डबल सर्किट अलीगढ़-प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष व 2 पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04/54/2017/एफ0सी0/695 दिनांक 14.12.2017

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8 बी/यू0पी0/04/54/एफ0सी0/81 दिनांक 21.08.2017 द्वारा वांछित बिन्दुओं की सूचना, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 2300/14-2-2017-800 (:80)/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। प्रेषित आपत्तियों की बिन्दु सं0 2 की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उनके पत्रांक GPTL/Forest/2017-18/117 दिनांक 03.01.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रेषित आख्या संलग्न कर 04 प्रतियों में निम्न प्रकार प्रेषित है।

Observation no.	Observation	Reply
2	Information uploaded regarding copy of map indicating location of alternatives examined at D (ii) (a) of part 1 is incorrect.	Corrected map showing alternative routes with area description examined by user agency has been uploaded.

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0डी0 त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य प्रबन्धक, गुडगांव पलवल पारेषण लि0, एफ1, मीरा कारपोरेट सूट, ईश्वरनगर मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065।

(एस0डी0 त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।